राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमन सोनल, आर. ए. एस.)

ुकदमा नं. :– 1470/2023

उनवान

हीरालाल बनाम तहसीलदार

ीरालाल दत्तक पुत्र स्व. भगवानाराम जाईन्दा पुत्र मदनलाल जाति माली – निवासी वार्ड नं. 3 नयाबास, झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं

वादी

बनाम

हसीलदार (भू–अभि.) झुन्झुनूं।

प्रतिवादी

पस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री राजेश पूनियां– वादी की ओर से।

दावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

विवेचन दिनांक 17.09.24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन गत खसरा नम्बर 1327 रकबा 10 ोघा 2 विश्वा हाल खसरा नम्बर 2015 रकबा 2.55 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम झुन्झुनूं में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का पहले खातेदार वादी का दादाजी बींजाराम था। उक्त बींजाराम का देहान्त बहुत पहले हो चुका है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र मे वादी के पेता भगवानाराम का 1/3 हक हिस्सा था। वादी के दत्तक पिता भगवानाराम का दिनांक 07.04.2020 को देहान्त हो चुका। वादी की दतक माता भगवती देवी का देहान्त भगवानाराम के जीवनकाल मे सन 2011 मे हो चुका। वादी दत्तक पुत्र होने से भगवानाराम का एकमात्र वारिस है। भगवानाराम के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में उसके 1/3 हक हिस्सा की जमीन उत्तराधिकार मे वादी को प्राप्त हुई। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के बाद माननीय न्यायालय मे पहले एक वाद पत्र उनवानी रामनिवास बनाम भगवानाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 25/2009 चला जिसमे दिनांक 13.04.2011 को निर्णय व डिक्री पारित की जिसमे वादी के दत्तक पिता भगवानाराम को 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया। वाद पत्र मुकदमा नम्बर 25/2009 मे वादी हीरालाल, प्रतिवादी नम्बर 5 के रूप में पक्षकार है। उक्त वाद पत्र मे वादी के सगे भाई भागीरथ, बनवारीलाल, बसन्तलाल, माता फुली देवी व वादी के दत्तक पिता भगवानाराम की ओर दावा का इकबालिया जबाब पेश हुआ है तथा मुकदमा नम्बर 25/2009 मे वादी के जाईन्दा पिता मदनलाल के 1/3 हिस्सा की जमीन के खातेदार वादी हीरालाल को छोड़कर वादी के अन्य भाई व माता फुली देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है यानि वादी उक्त भगवानाराम का दत्तक पुत्र था इस कारण वादी को जाईन्दा पिता की जमीन मे कोई हिस्सा नही दिया। वादी हीरालाल, भगवानाराम का गोद का पुत्र है इस बात को स्वंय भगवानाराम व भगवानाराम के भाई मालाराम का पुत्र रामनिवास

Scanned with OKEN Scanner

वं वादी के सगे भाईयों एवं माता ने एडमिट किया है। वादी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2011 के मुताबिक अपने दत्तक पिता भगवानाराम की जगह अपने नाम नामान्तकरण के लिए दिनांक 22.09.2023 को तहसीलदार झुन्झुनूं के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया तब तहसीलदार झुन्झुनूं ने माननीय न्यायालय मे रेगुलर दावा पेश कर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी इस कारण मौजुदा वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने मौजुदा दावा सिर्फ अपने दत्तक पिता भगवानाराम की जगह उसके 1/3 हक हिस्से की खातेदारी बाबत दावा पेश किया है इस कारण जमाबन्दी मे दर्ज अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं डुप्लीकेट प्रति के पेशकर निवेदन है कि (क) वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 2015 रकबा 2.55 हैक्टर जमीन मे वादी को उसके दत्तक पिता भगवानाराम पुत्र बींजाराम जाति माली निवासी झुन्झुनूं की जगह उसके 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पत्रांक भू0अ0/2024/998 दिनांक 06.06.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की है। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के पास पंजीकृत गोदनामा से संबधित दस्तावेजात नहीं है, बाबत रिपोर्ट पेश की है जिसे शामिल मिशल किया गया। वादी ने साक्ष्य स्वरूप अपना शपथ पत्र बयान खास गवांह पी0डब्ल्यू0 1 पेश किया गया जिसे शामिल मिशल किया गया। वादी ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि जमीन गत खसरा नम्बर 1327 रकबा 10 बीघा 2 विश्वा हाल खसंरा नम्बर 2015 रकबा 2.55 है0 सरहद राजस्व ग्राम झुन्झुनू में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में मुझ वादी के पिता भगवानाराम का 1/3 हक हिस्सा था। मुझ वादी के दत्तक पिता भगवानाराम का दिनांक 07.04.2020 को देहान्त हो चुका। मुझ वादी की दतक माता भगवती देवी का देहान्त भगवानाराम के जीवनकाल मे सन 2011 में हो चुका। मैं वादी दत्तक पुत्र होने से भगवानाराम का एकमात्र वारिस हूं। भगवानाराम के देहान्त होने के वाद पत्र मे उसके 1/3 हक हिस्सा की मुझ वादी को प्राप्त हुई। जमीन उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के बाद माननीय न्यायालय मे पहले एक वाद पत्र उनवानी रामनिवास बनाम भगवानाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 25/2009 चला जिसमे दिनांक 13.04.2011 को निर्णय व डिक्री पारित की जिससे मुझ वादी के दत्तक प्रिता भगवानाराम को 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया। वाद पत्र मुकदमा नम्बर 25/2009 मे वादी हीरालाल, प्रतिवादी नम्बर 5 के रूप में पक्षकार है। उक्त वाद पत्र मे मुझ वादी के सगे भाई भागीरथ, बनवारीलाल, बसन्तलाल, माता फुली देवी व मुझ वादी के दत्तक पिता भगवानाराम की ओर दावा का इकबालिया जबाब पेश हुआ है तथा मुकदमा नम्बर 25/2009 मे वादी के जाईन्दा पिता मदनलाल के 1/3 हिस्सा की जमीन के खातेदार मुझ वादी हीरालाल को छोड़कर मुझ वादी के अन्य भाई व माता फुली देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया है यानि मैं वादी उक्त भगवानाराम का दत्तक पुत्र था इस कारण मुझ वादी को जाईन्दा पिता की जमीन मे कोई हिस्सा नही दिया। मैं वादी हीरालाल, भगवानाराम के गोद का पुत्र है इस बात को स्वंय भगवानाराम व भगवानाराम के भाई रामनिवास एवं मुझ वादी के सगे भाईयों एवं माता ने एडमिट किया है। पत्रावली पर प्रदर्श 01 लगायत 29 डाले गये। पत्रावली में एक पक्षीय बयान लिये गये, जिन्हे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जबाव प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार झुन्झुनू, प्रदर्श 01 लगायत 29 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उपरोक्त दस्तावेजाती तथ्यों एवं न्यायालय मत पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। कस्बा झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2015 रकबा 2.55 है0 में भगवाना राम पुत्र बींजाराम जांति माली निवासी झुन्झुनू हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादी हीरालाल दत्तक पुत्र स्व0 भगवानाराम जाईन्दा पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 53 नयाबास झुन्झुनू को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

हस्ताक्षर
17.09.24
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner